



क्रमांक/४५४ / D.U.H.S./गोप./2022

रायपुर, दिनांक ०६ /०७/2022

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 19.05.2022 के निर्णयानुसार - निम्नलिखित छात्र के अनुचित साधन प्रकरण पर रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 02 की श्रेणी में इन्हें "Cancellation of that paper of the examination day." से दंडित किया जाता है। संबंधित छात्रा की विषय "Community Health Nursing" की परीक्षा दिनांक 26.04.2022 को निरस्त किया जाता है। छात्रा "Community Health Nursing" की आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगी।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
20511257	बी.एस.सी.नर्सिंग द्वितीय वर्ष अप्रैल-2022	टिकेश्वरी	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग	

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/६४५ / D.U.H.S./गोप./2022

रायपुर, दिनांक ०६ /०७/2022

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cqhealthuniv.com](http://www.cqhealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

कुलसचिव

